



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल: गोरखपुर, जनपद : महाराजगंज, तहसील : नौतनवाँ

वादसंख्या : 02265 / 2020

कम्प्यूटरीकृतवाद संख्या : T202015060103755

बृजलाल स्मारक महाविद्यालय बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा:-80, अधिनियम:-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

निर्णयादेश

प्रस्तुतवाद वादी श्रीमती अनुपमा यादव पुत्री श्री राम यादव निवासी ग्राम राजावारी पोस्ट टूठीवारी, परगना विनायकपुर तहसील नौतनवाँ जिला महाराजगंज प्रबन्धक बृजलाल स्मारक महाविद्यालय, राजावारी, टूठीवारी, द्वारा मौजा राजावारी, तहसील नौतनवाँ, जिला महाराजगंज के गाटा सं० 383/0.648, 385/0.304 का कुल रकबा 9520 मी⁰ को गैर अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है कि अराजी निजाई पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है।


तहसीलदार नौतनवाँ, महाराजगंज से स्थलीय जांच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार नौतनवाँ की आख्या दिनांक 10.01.2022 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम राजावारी, परगना विनायकपुर तहसील नौतनवाँ, जिला महाराजगंज में स्थित गाटा सं०, 383/0.648, 385/0.304, का कुल रकबा 9520 मी⁰ पर, तराई डवलेपमेन्ट ट्रस्ट राजावारी तहसील नौतनवाँ, जिला महाराजगंज के नाम स्थित है। जो चक/आकार पत्र 23 भाग 1 में सक्रमणय भूमिधर अंकित है। जिस पर विद्यालय बना है और भूमि के चारों तरफ चहरदीवारी है।

तहसीलदार नौतनवाँ, महाराजगंज की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मैंने पत्रावली की सम्यक अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में, मौजा राजावारी, परगना विनायकपुर के जो०चक/आकार पत्र 23 भाग 1 प्रस्तुत किया गया है, तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली 2016 में अकृषिक घोषित करने के लिए धारा 80(1) के अन्तर्गत उदघोषणा शुल्क नायब तहसीलदार नौतनवाँ, महाराजगंज की आख्या के उपरान्त मु० 46850.00(रु०छियालीस हजार आठ सौ पचास)चालान सं० ए० 444 दिनांक 25.02.2022 को जमा किया जा चुका है। जो संलग्न पत्रावली है। ऐसी दशा में आराजी ने जायी को अकृषिक एवं भूराजस्व रहित भूमि घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा राजावारी, तहसील नौतनवाँ महाराजगंज के गाटा सं० 383/0.648, 385/0.304, का कुल रकबा 9520 मी⁰ भूमि को अकृषिक एवं भूराजस्व रहित भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो वाद अमददरामद पत्रावली समर्पित अभिलेखालय की जाय।

दिनांक 28.02.2022 पृष्ठ संख्या :


उप जिलाधिकारी
नौतनवाँ

यह आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।
दिनांक 28.02.2022



उप जिलाधिकारी
नौतनवाँ